

रावतभाटा

परमाणु बिजलीघरों से बढ़ता स्वास्थ्य संकट

रामप्रताप गुप्ता


रावतभाटा में सन् 1973 में जब पहले परमाणु बिजलीघर का उद्घाटन हुआ था तो आसपास के पिछडे क्षेत्रों के निवासियों ने इसका खुले दिल से स्वागत किया था। सोचा था कि इसके जरिए क्षेत्र के युवकों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे और यह पिछड़ा क्षेत्र अपनी अर्थव्यवस्था के आधुनिकीकरण की दिशा में एक लम्बी छलांग लगा सकेगा। लेकिन न तो रोजगार सृजन की दिशा में उनकी अपेक्षाएं पूरी हुई और न ही क्षेत्र के विकास को कोई गति मिली। इसके चलते सन् 1980 में दूसरी इकाई के उद्घाटन के समय उनकी प्रतिक्रिया कुछ कम उत्साहपूर्ण थी।

गौरतलब है कि परमाणु बिजलीघर की प्रथम इकाई का अत्यन्त उत्साह के साथ तथा द्वितीय इकाई का कम उत्साह के साथ ही सही, स्वागत किए जाते वक्त लोगों को इस बात का कोई अनुमान न था कि इन बिजलीघरों से निरन्तर निकलने वाले विकिरण के कारण उन्हें स्वास्थ्य सम्बंधी अनेक नई समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। परमाणु बिजलीघरों के अधिकारियों ने इस बारे में उन्हें कभी कुछ नहीं बताया। विकिरण उनको कब, कैसे प्रभावित करेगा, इसकी उन्हें कोई चेतावनी या जानकारी नहीं दी गई। फिर परमाणु बिजलीघरों से निकलने वाले विकिरण का स्वरूप भी तिलसमी-सा होता है, यह न तो दिखाई देता है, न इसका कोई रूप, रंग या गंध होती है। परमाणु बिजलीघरों द्वारा जब इस बारे में कोई जानकारी ही नहीं दी गई थी तो इस बारे में निकटस्थ ग्रामवासियों को विश्वास में लेने का कोई प्रश्न ही नहीं था।

धीरे-धीरे इन परमाणु बिजलीघरों के पास बसे गांवों के लोगों का स्वास्थ्य सम्बंधी नई समस्याओं से सामना होने लगा। वे महसूस

करने लगे कि उनकी स्वास्थ्य सम्बंधी बढ़ती समस्याओं और परमाणु बिजलीघरों में कुछ न कुछ आपसी सम्बंध ज़रूर है।

कुछ लोगों ने इनसे निकलने वाले विकिरण और उससे हो सकने वाली बीमारियों के बारे में पढ़ा था। बिजलीघरों के अधिकारियों से इस बारे में पूछने पर उन्होंने बताया कि इनसे निकलने वाली विकिरण की मात्रा बिल्कुल कम है तथा स्वास्थ्य पर कोई प्रतिकूल प्रभाव सम्भव ही नहीं है। लेकिन इन गांववासियों की स्वास्थ्य सम्बंधी समस्याओं का ग्राफ तो ऊंचा ही चढ़ता जा रहा था। इस बीच रावतभाटा के कुछ संवेदनशील व्यक्तियों ने विकिरण की बढ़ती समस्याओं से तंग आकर परमाणु विरोधी संघर्ष समिति की स्थापना की और कुछ प्रदर्शन भी आयोजित किए। इस संघर्ष समिति का



विश्व की ऊर्जा आवश्यकता का केवल तीन प्रतिशत ही परमाणु शक्ति पूरा करती है।

ગુજરાત સ્થિત અણુમુક્તિ સંગઠન સે સમ્પર્ક હુआ। યહાં સે ઉન્હેં વિકિરણ જનિત સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓં કી વૈજ્ઞાનિક જાનકારિયાં મિલ્યોં। સંઘર્ષ સમિતિ દ્વારા પરમાણુ બિજલીઘરોં કે અધિકારિયોં પર દબાવ ડાલા જાને લગા કી વે નિકટસ્થ ગ્રામોં કે લોગોં કા સ્વાસ્થ્ય સમ્બંધી સર્વેક્ષણ કરાએં ઔર દેખોં કી ક્યા ઉનમેં વિકિરણ જનિત બીમારિયાં બઢ़ રહી હૈનું। લેનિન અધિકારિયોં કા જવાબ પહેલે કી હી તરહ રહા - વિકિરણ કી માત્રા સુરક્ષિત સીમા સે કાફી કમ હૈ ઔર ઇસસે કિસી પ્રકાર કી સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાએં હોને કા કોઈ પ્રશ્ન હી નહીં ઉઠતા। અગાર ઇન ક્ષેત્રોં મેં સ્વાસ્થ્ય સમ્બંધી કુછ વિશિષ્ટ સમસ્યાએં હૈનું તો ઉનકા ઇસ બારે મેં કોઈ દાયિત્વ નહીં બનતા। રાજ્ય સરકાર સે ઇસ ક્ષેત્ર મેં કુછ કરને કો કહા જાના ચાહેલું।

ઐસે મેં અણુમુક્તિ આન્દોલન તથા વેડછી (સૂરત) સ્થિત સમ્પૂર્ણ ક્રાન્નિ વિદ્યાલય ને પરમાણુ બિજલીઘર કે કરીબ સ્થિત ગાંવોં કે લોગોં કી સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓં તથા

પરમાણુ બિજલીઘરોં કે નિકટ કે ગ્રામોં મેં દૂરરથ અંચલ કે ગ્રામોં કી તુલના મેં જન્મજાત વિકલાંગતા, ગર્ભપાત, મૃત જને બચ્ચે, નવજાત શિશુઓં કી મૃત્યુ, ટી.બી. આદિ જૈસી દીર્ઘકાળીન અસર વાલી બીમારિયોં કા પ્રભાવ કાફી અધિક પાયા ગયા। જહાં દૂરરથ અંચલ કે ગ્રામોં મેં જન્મજાત વિકલાંગતા કા પ્રભાવ 55 પ્રતિ દસ હજાર થા, વહીને નિકટસ્થ ગ્રામોં મેં યહ 346 પ્રતિ દસ હજાર થા।

વિકિરણ સે ઉનકે સમ્બંધ કી પુષ્ટિ હેતુ ઇન ગ્રામવાસીયોં કે સ્વાસ્થ્ય સર્વેક્ષણ કા નિશ્ચય કિયા। વૈસે તો યહ પરમાણુ બિજલીઘર કે અધિકારિયોં કા દાયિત્વ થા કી વે વિકિરણ જનિત સ્વાસ્થ્ય સંકટોં કી પૃષ્ઠભૂમિ મેં ઇસ ક્ષેત્ર કે લોગોં પર પરમાણુ બિજલીઘર શુરૂ કરને સે પહેલે ઔર બાદ મેં નિર્ણિત સમયાવધિયોં પર સ્વાસ્થ્ય સર્વેક્ષણ કરાતે રહતે। ઇસસે એક તો ઉન્હેં સહી-સહી જાનકારી મિલતી રહતી ઔર દૂસરે ઇન પ્રભાવોં સે બચને કે લિએ નિકટસ્થ આબાદી કો પ્રશિક્ષિત કિયા જા સકતા। પરંતુ અધિકારિયોં ને પરમાણુ બિજલીઘરોં કે પૂર્વ સ્થાનીય ઔર આસપાસ કી આબાદી કે સ્વાસ્થ્ય સર્વેક્ષણ કી કોઈ જરૂરત નહીં સમજી થી।

ઐસે મેં યહ તય કિયા ગયા કી વિકિરણ-પ્રભાવોં કી તુલના કે લિએ ઇન બિજલીઘરોં સે 50 કિ.મી. દૂર કે સમાન આર્થિક-સામાજિક રિસ્થિતિ વાલે ગ્રામોં કે નિવાસીયોં કા ભી સ્વાસ્થ્ય સર્વેક્ષણ કિયા જાએ। ઇસ સર્વેક્ષણ મેં

30 સે અધિક શોધકર્તાઓં ને હિસ્સા લિયા ઔર 18 દિન મેં યહ કાર્ય પૂરા હુઆ। વર્ષા ઋતુ મેં હવારું ઉત્તર-પૂર્વ કી ઓર બહતી હૈનું ઔર હવા મેં છોડે ગએ વિકિરણ કે વર્ષા કે સહારે જમીન પર આને તથા આબાદી કો પ્રભાવિત કરને કી સમ્ભાવના રહતી હૈ। અતઃ વિકિરણ કે સ્વાસ્થ્ય સમ્બંધી પ્રભાવોં કો જાનને કે લિએ પરમાણુ બિજલીઘર સે ઉત્તર-પૂર્વ મેં 90 કિ.મી. કે અંદર આને વાલે સભી ગ્રામોં કો લિયા ગયા।

ઇસ સર્વેક્ષણ કે પરિણામોં ને નિકટસ્થ ગ્રામોં કે નિવાસીયોં કી આશંકાઓં કો પુષ્ટ કર દિયા। 90 કિ.મી. કી સીમા વાલે ગ્રામોં તથા દૂરરથ અંચલ કે નિવાસીયોં કા લિંગ અનુપાત, પોષણ સ્તર, શૈક્ષણિક સ્તર આદિ સમાન થે લેનિન બાવજુદ ઇસકે પરમાણુ બિજલીઘરોં કે નિકટ કે ગ્રામોં મેં દૂરરથ અંચલ કે ગ્રામોં કી તુલના મેં જન્મજાત વિકલાંગતા, ગર્ભપાત, મૃત જને બચ્ચે, નવજાત શિશુઓં કી મૃત્યુ, ટી.બી. આદિ જૈસી દીર્ઘકાળીન પ્રભાવ વાલી

બીમારિયોં કે પ્રભાવ કાફી અધિક પાયા ગયા। જહાં દૂરરથ અંચલ કે ગ્રામોં મેં જન્મજાત વિકલાંગતા કા પ્રભાવ 55 પ્રતિ દસ હજાર થા, વહીને નિકટસ્થ ગ્રામોં મેં યહ 346 પ્રતિ દસ હજાર થા। ઇન દોનોં ક્ષેત્ર મેં દુર્ઘટનાજનિત વ પોલિયો સે ઉત્પન્ન વિકલાંગતા મેં કોઈ અંતર નહીં થા। જન્મજાત વિકલાંગતા કા અનુપાત દૂરરથ અંચલ કે ગ્રામોં કી તુલના મેં નિકટસ્થ ગ્રામોં મેં 6 ગુના અધિક થા। જન્મ કે દૌરાન યા તત્કાલ બાદ મરને વાલે બચ્ચોં કી સંખ્યા ભી નિકટસ્થ ગાંવ મેં 7 ગુના અધિક થી। પાસ કે ગ્રામોં મેં યહ દર 1631 પ્રતિ દસ હજાર જન્મ થી, જબકિ દૂરરથ અંચલ મેં યહ માત્ર 247 પ્રતિ દસ હજાર જન્મ થી। ઇકાઈ કે કરીબી ગાંવોં મેં કેંસર જન્ય મૃત્યુદર દૂરરથ અંચલ કી તુલના મેં દુર્ગુની થી। ઇસી તરહ લાંબે અર્સે મેં ઉભરને વાલે તપેદિક વ કુછ બાલ રોગોં કે પ્રભાવ ભી દૂર કી અપેક્ષા પાસ કે ગાંવોં મેં અધિક થા। યે સારે અંતર સાંખ્યિકીય દૃષ્ટિ સે કાફી મહત્વપૂર્ણ થે।

ज़रूरी है कि रावतभाटा में परमाणु बिजलीधरों की पांचवीं व छठवीं इकाई का कार्य प्रारंभ करने से पहले पूरे क्षेत्र में जन सुनवाइयों की एक शृंखला आयोजित हो। इन जन सुनवाइयों में अबे तक उत्पादनरत परमाणु बिजलीधरों की चार इकाइयों के प्रभावों पर व्यापक बहस हो। पूरी प्रक्रिया केन्द्रीय सरकार के कुछ अधिकारियों द्वारा ही न हो; जन भागीदारी को उचित स्थान मिलना चाहिए।

अधिकारियों द्वारा सर्वेक्षण से निकले इन निष्कर्षों पर ध्यान देने तथा इस दिशा में प्रभावी कदम उठाने के स्थान पर इन्हें नकारने का सरल-सा रास्ता अपना लिया गया। उनका तर्क था कि इन सब बीमारियों के लिए गरीबी और मात्र गरीबी जिम्मेदार है। परन्तु जब उनसे पूछा गया कि अगर गरीबी इन बीमारियों के लिए जिम्मेदार है तो दूरस्थ अंचलों के समान आर्थिक एवं पोषण स्तर के निवासियों में भी इन बीमारियों का इतना ही प्रभाव होना था, तो वे बगले झांकने लगे।


अमरीका स्थित ऊर्जा एवं पर्यावरण शोध संस्थान के अध्यक्ष वैज्ञानिक श्री अर्जुन माखीजानी का कहना है कि यह सर्वेक्षण पूर्णतः वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित ढंग से किया गया था और परमाणु बिजलीधरों तथा भारत सरकार को इन पर ध्यान देना चाहिए। परन्तु न केवल भारत सरकार और परमाणु बिजलीधरों के अधिकारियों के द्वारा बल्कि राजस्थान सरकार ने भी इस क्षेत्र में हुए एक मात्र

वैज्ञानिक सर्वेक्षण की उपेक्षा की। अगर सरकार को इस सर्वेक्षण के परिणामों पर शंका थी, तो उसे किसी भी स्वतंत्र शोध संस्थान द्वारा इस क्षेत्र की स्वास्थ्य समस्याओं तथा विकिरण से उनके सम्बावित सम्बंध के बारे में सर्वेक्षण करा लेना था, परन्तु वह भी नहीं किया गया। वैज्ञानिक श्री अर्जुन माखीजानी के शब्दों में “भारत सरकार को यह सिद्ध करना है कि वह अपने कर्मचारियों एवं जनता को विकिरण के प्रभाव से बचाने हेतु अतंर्राष्ट्रीय मापदण्डों का पालन करती है। इस संदर्भ में उसे स्वतंत्र पर्यवेक्षकों को इस जांच की अनुमति देना चाहिए। साथ ही उन्हें आवश्यक आंकड़े उपलब्ध कराना चाहिए।”

यह सब करने की बजाय सरकार ने रावतभाटा में परमाणु बिजलीधरों की संख्या में वृद्धि करना जारी रखा तथा परमाणु बिजलीधरों की इकाई 3-4 पर कार्य शुरू कर दिया। इसका उद्घाटन मार्च में प्रधानमंत्री अटलबिहारी वाजपेयी द्वारा किया गया। उद्घाटन भाषण में प्रधानमंत्री ने यह भी घोषणा की कि शीघ्र ही यहां पर बिजलीधरों

की पांचवीं व छठवीं इकाइयों का कार्य शुरू किया जाएगा। इनकी उत्पादन क्षमता वर्तमान इकाइयों से 4 गुना अधिक होगी।

इस सब के मद्देनजर परमाणु प्रदूषण विरोधी संघर्ष समिति ने प्रधानमंत्री को ज्ञापन देकर प्रमुख रूप से दो मुद्दों पर उनका ध्यान आकर्षित किया। पहला यह कि इस क्षेत्र की जनता पर विकिरण के प्रतिकूल प्रभावों को देखते हुए किसी स्वतंत्र शोध संस्थान के माध्यम से इस बारे में सर्वेक्षण कराया जाए; और दूसरा यह कि किसी भी सम्भावित मानवीय त्रुटि या मशीनी दोष से होने वाली दुर्घटना से निवटने के लिए तथा उस स्थिति में आसपास की



जनता को त्वरित अन्यत्र स्थानांतरित करने के लिए न तो इस क्षेत्र में सड़कों आदि का निर्माण किया गया है और न ही अन्यत्र ले जाकर उन्हें ठहराने आदि की कोई व्यवस्था चिन्हित की गई है। उनका यह भी कहना था कि उस स्थिति में स्थानीय आबादी को सरकार या परमाणु बिजलीघरों से आवश्यक सहायता पहुंचने के पूर्व क्या करना होगा, इस बारे में कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया है। प्रधानमंत्री ने ज्ञापन तो लिया परन्तु कोई आश्वासन देने से इंकार कर दिया।

इस सारी पृष्ठभूमि में तथा स्वास्थ्य की बढ़ती समस्याओं को देखते हुए आसपास के ग्रामों में अत्यधिक भय एवं आशंकाएं फैल रही हैं। स्वयं परियोजना अधिकारियों द्वारा भी इन आशंकाओं को जन्म दिया जा रहा है। निकटस्थ ग्राम बड़ौदिया के लोगों का कहना है कि पिछले वर्ष राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना की प्रयोगशाला के लोग आए थे और उन्होंने स्थानीय बावड़ियों से पानी पीने से मना किया था। यह पानी क्यों प्रदूषित हो गया है तथा इसके पीने से क्या हानि होने की सम्भावना है, इन प्रश्नों के उत्तर में उन्होंने कुछ भी कहने से इंकार कर दिया। इन गांवों के लोगों का कथन है कि इसका साफ मतलब यह है कि इन बिजलीघरों से निकलने वाले कचरे से इस क्षेत्र का भूजल प्रदूषित हो गया है। अगर ऐसा है तो इन बिजलीघरों को या तो हमें अन्यत्र बसाना चाहिए या पेयजल की अलग से व्यवस्था करना चाहिए। 10 कि.मी. की दूरी में बसे बड़ौदिया, झरझनी, मालपुरा आदि ग्रामों के निवासी अपनी स्वास्थ्य समस्याओं में दिनोंदिन वृद्धि होते जाने की शिकायत करते हैं। उनका कहना है कि वहां तपेदिक जैसी घातक बीमारी का तेज़ी से प्रसार हो रहा है।

राजस्थान सूचना के अधिकार की मुहिम का प्रवर्तक राज्य रहा है। अतः रावतभाटा में और अधिक परमाणु

बिजलीघरों की स्थापना से पहले यह आवश्यक है कि इनके आसपास की आबादी की सहमति ली जाए। जन सुनवाई इस सहमति का श्रेष्ठ माध्यम है। जन सुनवाई से पूर्व परियोजना अधिकारियों को परमाणु बिजलीघर के डिज़ाइन, उत्पादन क्षमता, सुरक्षा प्रावधानों, संचालन प्रक्रिया आदि के बारे में जनता को अवगत कराना चाहिए। आम आदमी को योजना के तमाम पक्षों की जानकारी प्राप्त करने की भी सुविधा मिलनी चाहिए क्योंकि शिक्षा एवं जानकारी के निम्न स्तर के कारण उनके लिए सारी स्थिति का सही-सही आंकलन कर सकना कभी-कभी सम्भव नहीं होता है।

जरूरी है कि परमाणु बिजलीघरों की इकाई पांचवीं व छठवीं का कार्य प्रारंभ करने से पहले पूरे क्षेत्र में जन सुनवाईयों की एक शृंखला आयोजित हो। इन जन सुनवाईयों में अब तक उत्पादनरत परमाणु बिजलीघरों की चार इकाइयों के प्रभावों पर व्यापक बहस हो। पूरी प्रक्रिया केन्द्रीय सरकार के कुछ अधिकारियों द्वारा ही न हो; जन भागीदारी को उचित स्थान मिलना चाहिए।

इन चार इकाइयों की स्थापना के पश्चात् स्वास्थ्य सम्बंधी बढ़ती हुई समस्याओं की पृष्ठभूमि में इस क्षेत्र के लोग अपेक्षा करते हैं कि इस दिशा में आगे बढ़ने से पहले सरकार उनको सूचना के अधिकार के उपयोग का पूरा-पूरा अवसर देगी और उनके द्वारा भोगी जा रही त्रोसदी के निवारण के लिए आवश्यक उपाय करेगी। अगर जन सुनवाई कार्यक्रमों के बाद भी सरकार इन इकाइयों की स्थापना का निर्णय लेती है तो उस स्थिति में लोगों को लोकतांत्रिक व शान्तिपूर्ण तरीके से विरोध करने की छूट मिलनी चाहिए व उन्हें कर्मचारियों और स्थानीय जनता के स्वास्थ्य सम्बंधी आंकड़ों को उपलब्ध कराया जाना चाहिए। यह भी देखा जाए कि यह व्यवस्था पूरी तरह से पारदर्शी हो। (स्रोत विशेष फीचर्स)

वर्ष 1999 व 2000 के स्रोत सजिल्ड 150 रुपए में उपलब्ध हैं।
डाक से मंगवाने पर 25 रुपए अतिरिक्त।
सम्पर्क : एकलव्य, ई-7/ एच.आई.जी. 453, अरेरा कॉलोनी, भोपाल 462 016 (म.प्र.)